न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 171/2021/75 (2015/00171)

1. श्रीमती मधुलता पाराशर पत्नि पुरूषोत्तम पाराशर, जाति ब्राहम्ण, निवासी रावत मंदिर के सामने, बड़ी बस्ती पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर दिनांक 23.9.2020 प्रार्थना पत्र संख्या 8/2019.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 12.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के निर्णय दिनांक 23.9.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम पुष्कर स्थित खसरा नंबर 1618 रकबा 2—1—10 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 1518 रकबा 0.19 है0 बने है, के राजस्व अभिलेख में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार श्याम सुन्दर, अशोक कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण मदनलाल, जाति ब्राहमण थे । खातेदारान द्वारा उपरोक्त आराजी का बंटवारा तहसीलदार, पुष्कर के समक्ष पेश किया जिसके आधार पर खसरा नंबर 1618 मिन रकबा 1—12—00 बीघा भूमि सुनील कुमार पुत्र मदनलाल के नाम अभिलेख में दर्ज की गई थी । सुनील कुमार द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से उक्त आराजी श्रीमती विजयलक्ष्मी पाराशर को बेचान कर दी तत्पश्चात् पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.7.2009 से श्रीमती विजयलक्ष्मी द्वारा खसरा नंबर 1618/2 रकबा 1—12—00 में से 16 बिस्वा भूमि अपीलांट मधुलता पाराशर को विक्रय कर दी तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 1116 दिनांक 28.7.2009 को क्रेता अपीलांट के नाम स्वीकृत हुआ । दिनांक 17.8.2009 को कन्हैयालाल खियानी पुत्र पैरूलाल द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र से आराजी खसरा नंबर 1618/2 रकबा 1—12—00 में से 16 बिस्वा आराजी अपीलांट मधुलता पाराशर को विक्रय कर दी गई जिसके आधार पर भी नामांतकरण संख्या 1125 दिनांक 16.9.2009 को क्रेता के पक्ष में स्वीकृत हुआ । इस प्रकार पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.8.2009 के द्वारा सुनील कुमार पुत्र मदनलाल द्वारा आराजी नंबर 1624/2 रकबा 5 बिस्वा संपूर्ण एवं खसरा नंबर 1617 रकबा 1 बिस्वा 10

बिस्वांसी में से 1/3 हिस्सा अपीलांट मधुलता पाराशर को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 1126 अपीलांट क्रेता के पक्ष में स्वीकृत हुआ । अर्थात् सुनील कुमार पुत्र मदनलाल द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया गया किन्तु अपीलांट के पक्ष मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत उक्त नामांतकरण को दर्ज किया गया किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत जमाबंदी से कम्प्यूटराईज्ड जमाबंदी बनाते समय अपीलांट के उक्त नामांतकरणों पर खरीदशुदा भूमि पुनः विक्रेता सुनील कुमार के नाम दर्ज कर दी जिसे दुरूस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार, पुष्कर द्वारा रिपोर्ट पेश कर यह मान कि उपरोक्त भूमि गलत रूप से दर्ज की गई है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है जिस पर अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने अपने निर्णय दिनांक 23.9.2020 के द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित किया कि राजस्व अभिलेख में खातेदार सुनील कुमार एवं अन्य खातेदारों द्वारा किये गये बंटवारे एवं अभिलिखित खातेदारों द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वर्किंग जमाबंदी नंबर 1618/2, 1624/2 व 1617 बाबत् स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1116 दिनांक 28.7.2009, नामांतकरण संख्या 1125 दिनांक 16.9.2009 एवं 1126 दिनांक 16.9.2009 के आधार पर दर्ज नामांतकरण को बहाल रखते हुए विक्रेता सुनील कुमार पुत्र मदनलाल के स्थान पर क्रेता अपीलांट के नाम संपूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को प्रदान किये । जिसकी पालना किए जाने हेतु अपीलांट द्वारा तहसीलदार, पुष्कर को उक्त निर्णय की प्रति पेश की किन्तु पटवारी हल्का द्वारा जानबूझ कर खसरा नंबर 1521 रकबा 0.31 है0 पर अपीलांट का नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट के नाम संपूर्ण हिस्सा दर्ज किए जाने के आदेश दिये जा चुके है तत्पश्चात् एक अत्यन्त ही विचित रिपोर्ट भी दिनांक 14.7.2021 को बनाकर भिजवाई । इस कारण अपीलांट अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उसके नाम आराजी खसरा नंबर 1521 की हद तक माननीय न्यायालय के समक्ष्ज्ञ उपरोक्त अपील पेश कर रहा है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.9.2020 में विक्रेता सुनील कुमार के नाम दर्ज संपूर्ण हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये एवं साथ ही अपीलांट के नाम स्वीकृत नामांकरण संख्या 1116, 1125 व 1126 को बहाल करने के आदेश प्रदान किये जिसके आधार पर अपीलांट के नाम उपरोक्त नामांतकरण के आधार पर दर्ज संपूर्ण हिस्से को पुनः दर्ज करना चाहिये था किन्तु पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से उक्त प्रकरण में रिपोर्ट बनाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.9.2020 को ही गलत ठहराते हुए यह अंकन कर दिया कि अपीलांट को अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय से संपूर्ण अनुतोष प्राप्त नही हुआ है इसलिये अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 88 व 188 के तहत कार्यवाही करनी चाहिये । पटवारी हल्का ने उक्त अंकन कर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कार्यवाही की है क्योकि अधी0न्याया0 द्वज्ञारा संपूर्ण हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये थे किन्तु उसकी पालना नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा नियम विरूद्ध कार्यवाही की है जो निरस्तनीय है । अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजियात को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है जिसके आधार पर अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में इंद्राज कर दिए गए किन्तु केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण कम्प्यूटराईज्ड जमाबंदी बनाते समय गलत इंद्राज कर दिये जाने से अपीलांट का नाम हटाकर पुनः विक्रेता का नाम दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्ती करने के संपूर्ण आदेश दिनांक 23.9.2020 को पारित यिके जा चुके है । इसलिये उक्त निर्णय की पालना में अपीलांट का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु गलत रूप

से अपीलांट का नाम दर्ज नहीं कर खसरा नंबर 1521 जिसके साबिक खसरा नंबर 1515 व 1516 बनने का अंकन पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है में सुनील कुमार का हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज होना चाहिये था इसलिये पटवारी हल्का द्वारा प्रथम दृष्टया बनाई गई रिपोर्ट गलत होने से निरस्त करते हुए पुनः अपीलांट का नाम अंकन किया जाना न्यायोचित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.9.2020 के अनुसार संपूर्ण पालना बाबत् खसरा नंबर 1521 जिसके साबिक खसरा नंबर 1615 एवं 1616 पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार) रकबा 0.31 है0 मे सुनील कुमार के नाम दर्ज 1/3 हिस्से को कलमजन कर पुनः अपीलांट मधुलता पाराशर पत्नि पुरूषोत्तम पाराशर जाति ब्राहमण के नाम खसरा नंबर 1521 में से 1/3 हिस्सा दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार, पुष्कर को प्रदान किये जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 23.9.2020 को निर्णय पारित कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार सुनील कुमार व अन्य खातेदारान द्वारा किये गये बंटवारे व अभिलिखित खातेदार द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थिया के पक्ष में आराजी वर्किंग खसरा नंबर 1618/2, 1624/2 एवं 1617 बाबत् स्वीकृत नामातकरण संख्या 1116 दिनांक 28.7.2009, 1125 दिनांक 26.9.2009 एवं 1126 दिनांक 16.9.2009 के आधार पर इस खाते में स्थित विक्रेता सुनील कुमार पुत्र मदनलाल कौम ब्राहमण के स्थान पर क्रेता प्रार्थिया मधुलता पाराशर पत्नि पुरूषोत्तम पाराशर कौम ब्राहमण, के नाम संपूर्ण हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार, पुष्कर को प्रदान किये है । अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रति तहसीलदार, पुष्कर को प्रेषित किये जाने पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का को पालना हेतु निर्देश दिये जिस पर पटवारी हल्का ने पत्र दिनांक 12.7.2021 द्वारा तहसीलदार, पुष्कर को अवगत कराया कि प्रार्थीया ने बंटवारा से बने साबिक खसरा नंबर 1618/2, 1624/2 एवं 1617 को लेकर धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 के तहत वाद प्रस्तुत अनुतोष प्राप्त किया लेकिन उक्त बंटवारा का अमल नही होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के निर्णय दिनांक 23.9.2020 से वादी को संपूर्ण अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है । संपूर्ण अनुतोष के लिए वादिया को पुनः भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 88, 188 में वर्किंग खसरा नंबर 1521 जिसके साबिक खसरा नंबर 1615, 1616 बाबत् वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये । जबकि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय दिनांक 23.9.2020 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि " राजस्व अभिलेख में खातेदार सुनील कुमार व अन्य खातेदारान द्वारा किये गये बंटवारे व अभिलिखित खातेदार द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थिया के पक्ष में आराजी वर्किंग खसरा नंबर 1618/2, 1624/2 एवं 1617 बाबत् स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1116 दिनांक 28.7.2009, 1125 दिनांक 16.9.2009 एवं 1126 दिनांक 16.9.2009 के आधार पर इस खाते में विक्रेता सुनील कुमार पुत्र मदनलाल कौम ब्राहमण के स्थान पर क्रेता प्रार्थिया श्रीमती मधुलता पाराशर पत्नी पुरूषोत्तम पाराशर, कौम ब्राहमण के नाम संपूर्ण हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज करे । " तहसीलदार पुष्कर एवं पटवारी हल्का को अधी0न्याया0 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना किया जाना चाहिये था किन्तु पटवारी हल्का ने अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.9.2020 में दिये गये निर्देशों के विपरीत प्रार्थिया को धारा 88 व 188 के तहत वाद प्रस्तुत करने की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित किये जाने बाबत् तहसीलदार, पुष्कर को निर्देशित किया जाना उचित समझते है ।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । निर्णय की प्रति तहसीलदार, पुष्कर को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 8/2019 (2019/00063) बउनवान श्रीमती मधुलता पाराशर बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.9.2020 की संपूर्ण पालना यथा खसरा नंबर 1521 रकबा 0.31 है0 में से 1/3 हिस्सा अपीलांट के नाम पुनः दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर